



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935

No. 114]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

का.आ. 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 जनवरी, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 407/4/2014-एवीडी-IV(बी)]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC

GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

S.O. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby appoints the 16th day of January, 2014, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 407/4/2014-AVD-IV(B)]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.